न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0---118/2017
प्रविष्टि दिनांक --4.09.2017

1. ओमप्रकाश मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा जाति मीणा निवासी हाडावाली ढाणी, ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई।

—वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र मोती जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
2. केदार पुत्र मोती जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
3. लाली पुत्री मोती जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
4. कल्ली पुत्री मोती जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
5. जनकी बेवा जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
6. कैलाशी पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
7. बदाम पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
8. भूली पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
9. फूला पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
10. रामकरण पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
11. दाखा पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
12. तहसीलदार साहब निवाई जिला टोंक।
13. उपपंजीयक महोदय निवाई जिला टोंक।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री सीताराम शर्मा—अभिभाषक, वादीगण
श्री — अभिभाषक प्रतिवादीगण

दावा—तकासमा एवंस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक—24/1/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ख.न. 157 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा के ग्राम जुगलपुरा कलां तहसील निवाई में दर्ज पटवार रिकॉर्ड है, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण बहामी बंटवारा करके अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। मौके पर कब्जा संबंधित कोई विवाद नहीं है परन्तु वादी व प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से का तकासमा करना चाहते है जिससे मौके पर आये दिन वसाद विवाद को बचाया जा सके। वादी ने आराजी ख0नं0 157 के दक्षिण की ओर लगे सड़क पूर्व पश्चिम 206 फीट एवं उत्तर दक्षिण 134.09 फीट पर अर्थात 1 बीघा पर वादी का कब्जा है उक्त आराजी के दक्षिण की ओर रोड़ खसरा नम्बर 139, 140, 142/2 है जिनकी रोड़ बाउण्ड्री छोड़कर वादी का कब्जा है चारों तरफ पुख्ता बाउण्ड्री बनी हुई है लिहाजा वादी अपने कब्जा अनुसार तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना खाता अलग करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण व वादी के मेर कोर को लेकर विवाद होता रहता है यदाकदा प्रतिवादीगण बिना तकासमा के ही रहन मय बेचान करने की धमकी देते है तथा जबरन अन्य व्यक्तियों से मिलकर अवैध निर्माण करवाने को भी कहते है। उक्तानुसार तकासमा किये जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान कारित नहीं होगा मौके पर दैनिक विवाद नहीं होंगे दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से अनुसार तकासमा करवाये जाने से राजस्व रिकॉर्ड अपडेट हो सकेगा और प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान भी कारित नहीं होगा। इसलिए उक्तानुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित है और वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक पृथक किया जाकर बटा नम्बर डाला जाना न्यायोचित है। वादकरण दो रोज पूर्व पैदा हुआ जब वादी ने अपनी उत्तरी मेर की सफाई कर रहे थे तो प्रतिवादीगणों ने कहा कि बिना तकासमा व बिना पैमाइश के आपको उक्त ऐसा नहीं करें, यदि ऐसा करेंगे तो हम

हमारी जमीन को बिना तकासमा ही बेचान कर देंगे इसके वाद वादकारण लगाकर वहक वादी उक्तानुसार पैदा हो रहा है। वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वावत तकासमा की डिकी इस प्रकार फरमायी जावे कि खसरा नम्वर 157 रकवा 4 बीघा 06 विस्वा, वाके ग्राम जुगलपुरा कलां तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान में स्थित है में वादी का हिस्सा रोड वाउण्ड्री ख0नं0 139, 140, 142/2 छोड़कर पूर्व पश्चिम 206 फीट व 134 फीट उत्तर दक्षिण कुल रकवा 01 बीघा वादी के हिस्से में रखा जाकर उक्त भूमि का कब्जा अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाता अंकन किया जावे एवं नकशा शीट में पृथक से वटा नम्वर डाले जावे। प्रतिवादीगण सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्वर 157 रकवा 4 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम जुगलपुरा कलां तहसील निवाई में वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत दखल अन्दाजी अड़चने व्यवधान कारित नहीं करे।

वाददर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण मे वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2071–2074 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की तरफ से शीघ्र सुनवाई पेश हुआ। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 7 व 10 ता 13 बाद तामिल अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 7 व 10 ता 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। शेष प्रतिवादीगण 8 ता 9 का रजिस्टर्ड एडी का तलबाना सम्मन पेश हुआ मौका दिया गया। प्रतिवादीगण 8 ता 9 की ओर से पूर्व में श्री एन. के. शर्मा एडवोकेट ने वकातलनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी 8 ता 9 व प्रतिवादीगण 8 ता 9 को रूक–रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई, अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिवादीगण 8 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद तकासमा बाबत पेश किया गया है। अतः पी.डी. फरमाया जावे। वादी का वाद प्रारंभिक डिकी किया गया। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया गया कि ख0नं0 157 रकबा 04–06 बीघा वाके ग्राम जुगलपुरा कलां का उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके पर कब्जेकाश्त व राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार तकासमा प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

प्रकरण मे तहसीलदार निवाई से दिनांक 2.11.2023 को पी.डी. रिपोर्ट भिजवाई गई, जो 30.11.23 को प्राप्त हुई। जो निम्नानुसार है–

क0सं0	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
01	1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल कौम मीणा सा0 हाडावाली ढाणी निवाई खातेदार।	157/1	0.2529	चाही 3	3.50
02	1. केदार पुत्र मोती हि0 23/1650 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 2. कल्ली पुत्री मोती हि0 23/1650 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 3. लाली पुत्री मोती हि0 23/1650 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 4. हेमराज पुत्र मोती हि0 23/1650 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 5. जनकी पत्नी मोती हि0 23/1650 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 6. कैलाषी पुत्री कल्याण हि0 23/330 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 7. फूला पुत्री कल्याण हि0 23/330 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 8. बदाम पुत्री कल्याण हि0 23/330 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 9. भूली पुत्री कल्याण हि0 23/330 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 10. रामकरण पुत्र रामनारायण हि0 29/66 कौम मीणा सा0 देह खातेदार। 11. दाखा पुत्री रामनारायण हि0 14/66 कौम मीणा सा0 देह खातेदार।	157/2	0.8347	जाव 3	7.26

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–2074, नक्शा ट्रेस, पी.डी. रिपोर्ट, कब्जे को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस , दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त पी.डी. रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने वाद पत्र, एवं पी.डी. रिपोर्ट का अवलोकन किया , साथ ही वादी पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदारी मे है और वादी व प्रतिवादीगण, उक्त भूमि के सहखातेदार है जो अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि का तकासमा कराने के अधिकारी है। संयुक्त भूमि के रहते विवादो मे बढोतरी की संभावनाए को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपनी खातेदारी की भूमि का उचित नियमानुसार प्रयोग करने हेतु भूमि का विधिवत राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित है। मुताबिक तहसीलदार निवाई तकासम रिपोर्ट दिनांक 02.11.23 के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण बाबत, तकासमा आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पी.डी. रिपोर्ट दिनांक 2.11.2023 के अनुसार आराजी ख.न. 157 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम **जुगलपुरा कलां** तहसील **निवाई** जिला टोंक के अनुसार**अंतिम** डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पी.डी. रिपोर्ट दिनांक 02.11.2023 के अनुसार पक्षकारो के मध्य नियमानुसार विधिवत विभाजन कर, राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक खाते दर्ज कर पालना से अवगत करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक** 24/7/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेष कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई